करगिल के शहीदों को नमन किया

- राष्ट्रपति व राज्यों के सीएम हुए कार्यक्रम में शामिल
- वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

नई दिल्ली, 26 जुलाई. करगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश ने 1999 के करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'एक्स' पर लिखा, करगिल विजय दिवस पर मैं मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देती हूं. उनका अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान सदैव राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी करगिल के नायकों को श्रद्धांजलि दी. खरगे ने लिखा,हम अपने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं. सोनिया गांधी ने कहा, वीरों की विरासत अमर है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को नमन करते हुए लिखा,करगिल विजय दिवस वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत मिसाल है. राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने भी अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रमों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया नमन

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में शौर्य दिवस समारोह में हिस्सा लिया. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा यह दिन 1999 के ऑपरेशन विजय की सफलता की याद दिलाता है, जब सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर घुसे पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ते हुए पुनः कब्जा कर भारत का परचम लहराया.

मप्र के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में शौर्य स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कारगिल वीरों की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाया. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सैनिक स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल रमेश बैस ने मुंबई में युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और शहीद परिवारों से भेंट की.

सीमा पर झड़प, दूतावासों की एडवाइजरी

थाईलैंड-कंबोडिया तनाव के बीच सतर्क रहने की सलाह

भीषण गोलीबारी में अब तक 14 लोगों की मौत

नोमपेन्ह, 26जुलाई. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर तीसरे दिन भी झड़प जारी रही. शनिवार को दोनों देशों के बीच चली भीषण गोलीबारी में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि1.3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं. हालात बिगड़ते देख कंबोडिया और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

कंबोडिया स्थित भारतीय

दूतावास ने शनिवार 26 जुलाई को एडवाइजरी जारी कर कहा कि,थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर चल रहे सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इन क्षेत्रों की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है. किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से तुरंत संपर्क करने को कहा गया है.

थाईलैंड में भी अलर्ट : एक दिन पहले शुक्रवार को थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने भी उबोन, सुरिन, सिसाकेट, बुरीराम, सा काओ, चंथाबुरी और ट्रैट सहित 20 से अधिक संवेदनशील इलाकों की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी थी.

युद्ध का खतरा गहराया
शनिवार को थाई नेवी ने तटीय प्रांत ट्रैट में झड़प की पुष्टि की, जो विवादित सीमा से करीब 100 किमी दूर है. इसे देखकर स्पष्ट है कि अब टकराव केवल सीमित इलाके तक सीमित नहीं रहा. दोनों पक्ष अब अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कोशिश में हैं. कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है, वहीं थाईलैंड ने वार्ता के संकेत दिए हैं.

राहुल की ओबीसी माफी पर गरमाई सियासत

केंद्रीय मंत्री शिवराज और कविता ने कसा तंज

नई दिल्ली, 26 जुलाई. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ओबीसी वर्ग को लेकर दी गई सार्वजनिक माफी पर सियासी घमासान छिड़ गया है. राहुल ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं हो सकी और यह उनकी राजनीतिक चूक थी. इस बयान को लेकर बीजेपी और बीआरएस समेत विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी को हर बात बहुत देर से समझ आती है. उन्होंने पहले इमरजेंसी, फिर सिख दंगे और राफेल मामले में माफी मांगी, अब ओबीसी से. कांग्रेस ने ओबीसी को हमेशा नजरअंदाज किया है. आज जो कर रहे हैं, उसके लिए भी दस साल बाद माफी मांगेंगे.

बीआरएस नेता के कविता ने भी राहुल पर निशाना साधते हुए कहा,सिर्फ एक साधारण माफी से कुछ नहीं होगा. कांग्रेस 75 वर्षों तक सत्ता में रही, फिर भी ओबीसी को उनका हक नहीं दिला सकी. उन छात्रों का क्या, जो अवसरों से वंचित रह गए? कविता ने आगे चुनौती दी, अगर राहुल गांधी की माफी ईमानदार है, तो तेलंगाना में हुई ओबीसी जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें. यदि उनमें कोई त्रुटि है, तो जनता को उसे सुधारने का मौका दें. अन्यथा हम देशभर में कांग्रेस की कथनी और करनी को उजागर करेंगे. राहुल गांधी ने अपने आत्मविश्लेषण में स्वीकार किया कि, मैं 2004 से राजनीति में हूं. जब मैं पीछे देखता हूं तो पाता हूं कि ओबीसी की समस्याओं को समय पर नहीं समझ सका. अगर तब जानकारी होती तो जातिगत जनगणना उसी वक्त करवा देता. ये मेरी गलती थी, जिसे अब मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि पहले जनगणना कराई जाती, तो वह उतनी सटीक नहीं होती, जितनी अब की जा सकती है. राहुल की यह स्वीकारोक्ति अब राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गई है.

चीन के उत्तर प्रांत में बाढ़ का रेड अलर्ट

लान्झोउ, 26 जुलाई. उत्तर-पश्चिमी चीन के गांसु प्रांत में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जारी भारी बारिश के बीच शनिवार को अचानक बाढ़ और भूगर्भीय आपदाओं के मौसम संबंधी जोखिमों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया. प्रांतीय जल संसाधन विभाग और प्रांतीय मौसम विज्ञान ब्यूरो ने संयुक्त रूप से सुबह 6.10 बजे अचानक बाढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें पिंगलियांग और किंगयांग के कुछ हिस्सों में अल्पकालिक भारी वर्षा से बढ़ते खतरे का हवाला दिया गया. उसी दिन बाद में, प्रांतीय प्राकृतिक संसाधन विभाग और प्रांतीय मौसम विज्ञान ब्यूरो ने उन्हीं क्षेत्रों में मौसम से उत्पन्न भूगर्भीय आपदाओं के लिए रेड अलर्ट जारी किया.

शिक्षा में नए विकल्प की आवश्यकता : भागवत

- केरल के आदिशंकरा निलयम में 4 दिवसीय बैठक

केरल, 26 जुलाई. हम सब जिस शिक्षा से निकले हैं, वह शिक्षा औपनिवेशिक प्रभाव से ग्रस्त थी. हम भारतीय दृष्टि के आधार पर शिक्षा में नये विकल्प देने की आवश्यकता, तो इसलिए हमें स्वयं को वैसा तैयार करने की आवश्यकता है. हमारी पृष्ठभूमि उस शिक्षा की है इसलिए हमारा विषय कंठस्थ होना चाहिए, हमें नियमित इस पर अभ्यास करना जरूरी.

यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की राष्ट्रीय चिंतन बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता स्वयं को योग्य बनाए, अपना उदाहरण रखें और अपनी दोस्ती रख कर कार्यकर्ता को अपने जैसा बनाएं.

इसलिए कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण जरूरी है. इन सभी के लिए समन्वय जरूरी है, समन्वय का दायरा व्यक्ति से विश्व तक का होता है, हमें सबके साथ परस्पर मिलकर चलना है. समन्वय रखने के लिए धैर्य चाहिए, दूसरों को समझने का स्वभाव चाहिए, अपनापन चाहिए.

द्वितीय दिवस की जानकारी देते हुए न्यास के सह संयोजक डॉ राजेश्वर कुमार ने बताया कि न्यास के 10 विषय, 3 आयाम, 3 कार्य विभाग एवं 2 अभियानों की समीक्षा तथा 1 व 5 वर्षों की योजना पर चर्चा हुई. सभी विषयों में संगठनात्मक व कार्यक्र मात्मक दोनों आयामों पर योजना बनाई. शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक राष्ट्र एक नाम भारत विषय को लेकर देशभर के शैक्षिक संस्थानों में जाएगा.

बंगाल की वोटर लिस्ट में 1.25 करोड़ अवैध प्रवासी

- विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा
- टीएमसी ने कहा दावे का प्रमाण दो

कोलकाता, 26 जुलाई . पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान एक बार फिर तेज हो गया है. विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को दावा किया कि राज्य की मतदाता सूची में करीब 1.25 करोड़ अवैध प्रवासी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद इन सभी को हटाया जाएगा और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

पूर्व मेदिनीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, उन्हें चिंता

करने की ज़रूरत नहीं. उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार में 50 लाख नाम हट सकते हैं, तो बंगाल में 1.25 करोड़ नाम भी हट सकते हैं.

उन्होंने कहा इस बार मुख्यमंत्री को कोई नहीं बचा पाएगा. सारी लूट व फर्जी मतदान खत्म होगा.

उन्होंने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे ईमानदारी से काम करें, वरना जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.

ढाका में विमान हादसे के घायलों की जांच में जुटा भारतीय दल

ढाका, 25 जुलाई. दिल्ली के दो शीर्ष अस्पतालों के दो बर्न इंजरी विशेषज्ञों सहित भारतीय चिकित्सों का दल 21 जुलाई को ढाका के माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज में हुए विमान हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है.

भारतीय टीम ने ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टरों के साथ दूसरे दौर का परामर्श किया, कुछ मरीजों से मुलाकात की. ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि टीम ने संस्थान के डॉक्टरों के साथ प्रबंधन प्रोटोकॉल पर चर्चा की और उपचार पद्धति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की.

आज का इतिहास

1655 नीदरलैंड और ब्रांडेनबर्ग ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किये।

1694 इंग्लैंड सरकार के बैंकर के रूप में एक रॉयल चार्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया गया।

1709 सम्राट इम्पेरर नाकमिकादो जापान के सिंहासन पर बैठे।

1713 रूस और तुर्की ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किये।

1789 पहली फेडरल एजेंसी द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्थापना।

1836 दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडीलेड की स्थापना।

1862- अमेरिकी शहर कैंटन में तूफान का कहर, 40 हजार लोगों की मौत।

1888- फिलिप प्राट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया।

1889- इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया को लंदन में दादाभाई नौरोजी, विलियम वेडरबर्न, डब्ल्यू एस कैन और विलियम डिग्बी के नेतृत्व में खोला गया।

1897- बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तार किए गए।

SMFG India Credit — Pragati Ki Nayi Pehchaan

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

कब्जा नोटिस (अचल संपति के लिए) (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116 और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051 में है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांक की मांग सूचना जारी की है जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। निम्नलिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, निम्नलिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया हैः

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि और बकाया	कब्जे की तिथि
1. महेश कुमार शर्मा 2. धापू शर्मा ऋण खाता 267620911764763	12-05-2025. रु. 32,20,626.31/- (बत्तीस लाख बीस हजार छह सौ छब्बीस रुपये और इकतीस पैसे मात्र) 06.05.2025 तक	24.07.2025

संपत्ति के मालिक - श्री महेशकुमार और श्रीमती धापूभाई शर्मा, संपत्ति विवरण- संपत्ति मकान और दुकान ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 20 PH क्रमांक 49, गांव बूढ़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर में स्थित है। सीमाएं पूर्व-कंवरलाल का मकान पश्चिम-रामानंद दास जी का मकान उत्तर-रोड दक्षिण-रफीक शाह का मकान आयाम-उक्त मकान और दुकान का कुल क्षेत्रफल 168.68 वर्ग. (1815 वर्ग फीट) आरबीसी द्वारा निर्मित उक्त मकान का क्षेत्रफल 92.01 वर्ग मीटर (990 वर्ग फीट) है और टिन शेड द्वारा निर्मित मकान का क्षेत्रफल 59.94 वर्ग मीटर (180 वर्ग फीट) है।

विशेष रूप से ऋणी और आम जनता को एतद्द्वारा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर ऊपर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड का प्रभार लागू होगा। ऋणी का ध्यान, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः मध्य प्रदेश दिनांकः 27/06/2025. **एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी- एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि./यां. संभाग (ओल्ड पलासिया) इंदौर
E mail ID:- eepwdelecind@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 30/व.ले.लि./वि./यां./2025-26 इंदौर, दिनांक 23.07.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

सं. क्र.	टेंडर नंबर	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रुपए)	निविदा प्रपत्र की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2025_ PWDRB _439503	जवाहर नवोदय विद्यालय मुलथान, बदनावर जिला धार में स्थित मौजूदा लेफ्ट ओवरहेड कंडक्टर लाईन और भूमिगत केबल को एयर बंच केबल, मेन एमसीबी शैक्षणिक साइट वितरण बोक्स को बदलने का कार्य	धार	5.92	11,850/-	2,000/-	केन्द्रीयकृत पीडब्ल्यूडी विद्युत पंजीकरण	20 दिन वर्षाकाल सहित
2.	2025_ PWDRB _439504	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुजरी जिला धार के 2 नग एच एवं 1 नग एफ टाईप क्वार्टर में आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य।	धार	11.13	22,260/-	2,000/-	--तदैव--	1 माह वर्षाकाल सहित
		कुल राशि		रु. 17.05				

1. उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाईन पेमेंट करने के पश्चात बिड डाक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है।
2. बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। 1. बिड डाक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण, 2. अरनेस्ट मनी जमा करने का प्रमाण, 3.चेक लिस्ट, 4.एफिडेविट आदि अन्य विस्तृत जानकारी बिड डाटा शीट में देखी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की तिथि दिनांक 25.07.25 सुबह 10.30 से दिनांक 04.08.25 सायं 17.30 बजे तक निर्धारित है।
4. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन पेपर पब्लिकेशन में नहीं किया जाकर सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जाएगा।

जी -16255/25 — कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. वि./यां. संभाग, इंदौर

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या LNMEINR000115782 (पुराना) 80300005778929 (नया) (इंदौर शाखा) श्री बलराम जाट (उधारकर्ता) श्री राधामोहन भंडारी, श्रीमती सावित्री बाई (सह-उधारकर्ता)	18.07.2025 रु. 31,23,724 (10.07.2025 तक)	सर्वेक्षण संख्या 100 पैकी, क्षेत्रफल 8910 वर्ग फुट (828.06 वर्ग मीटर), ग्राम शेरपुर (मानपुर), तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453661 पर स्थित, भूमि और भवन सहित मकान का पूरा टुकड़ा। इसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तरः स्वयं का मकान, दक्षिणः स्वयं का मकान, पूर्वः स्वयं की भूमि, पश्चिमः आम सड़क -

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर, म.प्र.
दिनांकः 27-07-2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India — A Government of India Undertaking

अस्ति वसूली शाखा : 12/12-ए, द्वितीय मंजिल अनूप नगर, जीवन प्रदीप, एलआईसी बिल्डिंग, सीएचएल हॉस्पिटल के सामने, इन्दौर-452011

उधारकर्ता को विक्रय हेतु सूचित करने के लिए सूचना (30 दिनो की सूचना)
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2)/8(6) के अंतर्गत

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अस्ति वसूली शाखा, इन्दौर, सुरक्षित ऋणदाता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांक **30/01/2025** को भेजी गई थी, जिसमें आपसे निर्धारित समय के भीतर बकाया भुगतान करने की मांग की गई थी। चूंकि आप निर्धारित अवधि के भीतर उक्त सूचना का पालन करने में विफल रहे, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6/8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सुरक्षित संपत्तियों को अपने कब्जे दिनांक **28.05.2025** को ले लिया है।
सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के बाद भी आपने बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है। अतः, इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिनों के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करके नीचे उल्लिखित संपत्ति को बेचना आवश्यक हो गया है। ई-नीलामी की दिनांक और समय, संपत्ति का आरक्षित मूल्य एवं सेवा प्रदाता का विवरण, जिसमें ई-नीलामी को आयोजित किया जाना है, आपको अलग से सूचित किया जाएगा।
इसलिए, यदि आप विक्रय सूचना के प्रकाशन की दिनांक से पहले बैंक को देय राशि का भुगतान बाद के ब्याज, लागत, शुल्क और बैंक द्वारा किए गए खर्चों के साथ करते हैं तो संपत्ति के विक्रय के लिए कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी एवं आप अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत अपनी संपत्ति को भुना सकते हैं।

क्रं.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक
1	**1. ऋणी/ओं** (ए) श्री सोमिल माटा पिता स्व. श्री अशोक माटा (ऋणी), (बी) कु. परिधी माटा पिता स्व.श्री अशोक माटा (सह-ऋणी), (सी) श्रीमति अमिता माटा पति स्व.श्री अशोक माटा (सह-ऋणी), (डी) श्रीमति हरवीन खनुजा माटा पति सोमिल माटा (सह-ऋणी), (इ) स्व.श्री अशोक माटा के सभी कानूनी उत्तराधिकारी (सह-ऋणी) सभी का पता :11/बी, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जवेरी कॉलोनी, माणिक बाग रोड़, इंदौर 452002 **2. सह-ऋणी/यों** (ए). श्री ज्ञानचंद कटारिया पिता दौलतराम कटारिया, पता: 127, काटजू कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, कलेक्ट्रेट, इंदौर 452007 **3. जमानतदार/ओं** (ए). स्वर्गीय श्री अशोक मट्ठा (जमानतदार) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी, पता: 11/बी अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जवेरी कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इंदौर 452002	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, वाणिज्यिक सह आवासीय भवन, मकान नं. 5 का उत्तरी भाग (पुराना मकान नं. 6), जूना तोपखाना, गली नंबर-1 (पुराना), गली नंबर 6 (नया), महात्मा गांधी मार्ग, गली नंबर 6, इंदौर, **प्लाट का कुल क्षेत्रफल** 1608 वर्गफुट (149.44 वर्गमीटर), **कुल निर्मत क्षेत्रफल** 1241 वर्गफीट **संपति मालिक - स्व. श्री अशोक माटा** **चर्तु:सीमा :** पूर्व : 5 फीट सरकारी गली एवं कमल कुमार चौरसिया का मकान, पश्चिम: 5 फीट सरकारी गली एवं एच एल सुलेमान का मकान, उत्तर: रोड़ उसके बाद भागीरथी बाई गिरी का मकान, दक्षिण: इसी प्लाट का शेष भाग सपंत्ति मालिक ज्ञान कटारिया	30/01/2025 / 28/05/2025
2	**1. ऋणी/ओं** 1. (ए) मेसर्स कृष्णा एण्ड कम्पनी (ऋणी) प्रोपा. श्रीमति अमिता माटा पति स्व. श्री अशोक माटा **पता-** 405 (पुराना नं. 322) जवाहर मार्ग, इंदौर **(बी) श्रीमति अमिता माटा पति स्व. श्री अशोक माटा** **पता-** 11/बी, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जवेरी कॉलोनी, मणिक बाग रोड़, इंदौर 452002 **2. जमानतदार/ओं** (ए) श्री सोमिल माटा पिता स्व. श्री अशोक माटा (जमानतदार) **पता-** 11/बी, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जवेरी कॉलोनी, मणिक बाग रोड़, इंदौर 452002	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासीय प्लॉट नंबर 136 पर भूमि एवं भवन, पैलेस कॉलोनी, वार्ड नंबर 66, राजमहल कॉलोनी के पास, माणिक बाग रोड के अंदर, इंदौर, **क्षेत्रफल** 1800 वर्गफीट **संपत्ति के मालिक एवं बंधककर्ता- श्री सोमिल माटा,** **चर्तु:सीमा :** पूर्व : रोड, पश्चिम: प्लॉट नंबर 126, उत्तर: प्लॉट नंबर 137, दक्षिण: प्लॉट नंबर 135	30/01/2025 / 28/05/2025

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 01.07.2025

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. — **HDFC BANK** We understand your world
पंजीकृत कार्यालयः एच.डी.एफ.सी. बैंक हाऊस, सेनापती बापट मार्ग लोअल परेल(पश्चिम) मुंबई- 400013
शाखाः एच.डी.एफ.सी. हाऊस, 10-A/1, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001, **CIN:** L65920MH1994PLC080618, **वेबसाईट :** www.hdfcbank.com

आधिपत्य सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी/यों (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना पत्र जारी कर निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशियों के भुगतान तथा/ या वसूली की दिनांक तक आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित कथित सूचनाओं की दिनांक से 60 दिन के अंदर सूचनाओं में अंकित लागू दरों पर ब्याज सहित अदा करने करने हेतु निर्देशित किया था।

क्रं.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	आधिपत्य दिनांक	अचल संपत्ति (यों)/ सुरक्षित आस्ति (यों) का विवरण
1.	**श्री धुपर सचिन राज** मकान नंबर 31-बी, 491-सी, गणेश धाम, महादेव तोतला नगर के पास, इंदौर (म.प्र.) 452001	₹ **19,02,688/-** as on **31.07.2018**	14.09.2018	25.07.2025 (भौतिक आधिपत्य)	फ्लेट नं. 101, श्रीजी हाईट्स, ब्लॉक ई, सर्वे नं. 322/3, 322/4, खसरा नं. 322/3, 322/4, ग्राम बिचौली मर्दाना बायपास, इंदौर म.प्र., क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट (116.17 वर्गमीटर), **चर्तु:सीमाः** पूर्वः कॉलोनी पैसेज, पश्चिमः भवन का खुली जगह, उत्तरः फ्लेट नं. 102, दक्षिणः भवन का खुली जगह

*भुगतान तथा/या वसूली की दिनांक तक के लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित। तथापि, उपरोक्त दर्शित ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधि देय राशि के भगतान करने में असफल रहे हैं, उपरोक्त ऋणीयों/ तथा उनके प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि सपठित नियम 8 सहित कथित अधिनियम की धारा 13(4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत एच.डी.एफ.सी. के प्राधिकृत अधिकारीयों ने उपरोक्त दिनांक को यहाँ वर्णित अचल संपत्तियों/सुरक्षित आस्तियों का **भौतिक आधिपत्य** ले लिया है।

ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सावधान किया जाता है कि उपरोक्त अंकित अचल संपत्तियों एवं सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार ने करें एवं सदर अचल सम्पत्तियॉ एवं सुरक्षित आस्तियॉ एच.डी.एफ.सी. के आधिपत्य में है। ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

पंचनामा की प्रतियां और विस्तृत सूची अधोहस्ताक्षरी के साथ उपलब्ध हैं, और यह कि ऋणियों/वैध वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधियों को सामान्य कार्यालय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरित से संबंधित प्रतिलिपि एकत्र करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 27.07.2025

वास्ते/- प्राधिकृत अधिकारी
एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड